



2026:AHC: 4027

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19571 वर्ष 2025

राजबहादुर

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

सुरेश कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्रा को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 21.07.1996 को सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता 28.02.2022 को सेवानिवृत्त हो गए, हालांकि, याचिकाकर्ता को 10 और 16 वर्ष पूरे होने के बाद मिलने वाले ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया है, विशेष रूप से तब जब इसका एकमात्र आधार यह है कि ब्रॉडशीट में कॉलम भरा नहीं गया है; जबकि यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसे स्वयं प्रतिवादियों द्वारा पूरा किया जाना है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से लाभों से वंचित किया गया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि ब्रॉडशीट के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात याचिकाकर्ता के दावे पर प्रतिवादी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला रायबरेली द्वारा विचार किया जाएगा।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला रायबरेली के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।